नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

[विनियमन 8(1)और सेबी की धारा 9(1) (आंतरिक व्यापार पर प्रतिबन्ध) विनियम, 2015 यथा संशोधित]

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1 .	प्रारंभिक और प्रयोज्यता	3
2 .	परिभाषाएं	4
3 .	अनुपालन अधिकारी	9
4 .	अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का संचार या खरीद	11
5 .	अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के समय व्यापार	13
6.	व्यापार खिड़की	15
7 .	पूर्व मंजूरी का लेन-देन में प्रतिभूति	17
8 .	प्रकटीकरण	21
9 .	आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दंड	23
10 .	संशोधन	23
11	मिश्रित	24

अध्याय 1

प्रारंभिक

नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए यह आचार संहिता, संशोधित सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 8(1) और 9(1) के अनुसार तैयार की गई है। इस संहिता को इस उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है कि नामित व्यक्ति और उनके नजदीकी रिश्तेदार, जैसा कि संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना' (यूपीएसआई) तक पहुंच और उसके कब्जे से कोई लाभ प्राप्त न करें या दूसरों को कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता न करें, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन करती है।

उद्देश्य का कोड

संहिता का उद्देश्य सेबी विनियमन 2015, यथासंशोधित (अंदरूनी व्यापार का निषेध) का अनुपालन प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार को विनियमित करना, निगरानी करना और रिपोर्ट करना है। संहिता अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं को भी प्रदान करती है। ।

प्रयोज्यता

यह संहिता नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों पर लागू और बाध्यकारी होगी जैसा कि इस संहिता में परिभाषित किया गया है। .

अध्याय दो

परिभाषाएं

इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

2.1 **'अधिनियम' या ' सेबी अधिनियम'** से प्रयोजन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 है। .

2.2 ' **बोर्ड** ' से प्रयोजन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है।

2.3 **'कंपनी'** से प्रयोजन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) है।

2.4 '**संहिता' से प्रयोजन** यह आचार संहिता नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदार द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग एवं कंपनी द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित प्रकटीकरण, और शब्द तथा अभिव्यक्ति में इस्तेमाल किया कोड लेकिन अपरिभाषित, सेबी अंदरूनी व्यापार विनियमन 2015 यथा संशोधित के तहत परिभाषित समान अर्थ से होगा।

2.5 **'अनुपालन अधिकारी'** से तात्पर्य इस संहिता के उद्देश्य हेतु कंपनी के कंपनी सचिव से है। कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोई अन्य अधिकारी अधिकृत कर सकते हैं, जो महाप्रबंधक के पद से नीचे न हो, जो अनुपालन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वित्तीय रूप से शिक्षित हो और इन विनियमों के तहत कानूनी और नियामक अनुपालन की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हो।

2.6 **संबद्ध व्यक्ति '** से तात्पर्य -

(i) कोई भी व्यक्ति जो संबंधित अधिनियम से पहले छह महीने के दौरान किसी कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी क्षमता में, उसके अधिकारियों के साथ लगातार संचार के कारण भी जुड़ा हुआ है या रहा है या किसी संविदात्मक , प्रत्ययी या रोजगार संबंध में होने से या कंपनी का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होने से या स्वयं और कंपनी के बीच पेशेवर या व्यावसायिक संबंध सहित कोई भी पद धारण करने से , चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य

संवेदनशील सूचना तक पहुंच प्रदान करता है या उचित रूप से ऐसी पहुंच की अनुमति देने की अपेक्षा की जाती है ;

(ii) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले और हडको से संबद्ध व्यक्ति तब तक संबद्ध व्यक्ति माने जाएंगे, जब तक कि विपरीत तथ्य स्थापित न हो जाए -

क) खंड (i) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति का नजदीकी रिश्तेदार ; या

ख) धारक कंपनी या सहायक कंपनी ; या अनुषंगी कंपनी

ग) अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्टि एक मध्यस्थ या उसका कर्मचारी या निदेशक ; या

घ) एक निवेश कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसका एक कर्मचारी या निदेशक ; या

(ड) स्टॉक एक्सचेंज या क्लीयरिंग हाउस या निगम का एक अधिकारी; या

(च) किसी म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का सदस्य या म्यूचुअल फंड के परिसंपति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कर्मचारी; या

छ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(72) में परिभाषित, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का सदस्य या कर्मचारी; या

ज) सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत किसी स्व-नियामक संगठन का एक अधिकारी या एक कर्मचारी; या

झ) कंपनी का बैंकर; या

(जे) कंसर्न, फर्म, न्यास, अविभाज्य हिंदू परिवार, कंपनी या ऐसे व्यक्तियों का संगठन जिसमें किसी कंपनी का निदेशक या उसका नजदीकी रिश्तेदार या कंपनी का बैंकर, दस प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी या ब्याज रखता है ;

***नोट** : इसका उद्देश्य यह है कि* जुड़ा हुआ *व्यक्ति वह है जिसके पास उस कंपनी से संबंध* हैं *जिसके बारे में यह अपेक्षा की जाती है कि* उसके पास *अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना है* / उपरोक्त निर्दिष्टानुसार नजदीकी *रिश्तेदार और अन्य श्रेणी के व्यक्ति को* भी संबद्ध व्यक्तियों के रूप में माना जाता है *लेकिन* ऐसा *मानना कानूनी कल्पना और खंडनीय* है. *इस परिभाषा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को भी इसके दायरे में लाना है जो **किसी** कंपनी में किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन* कंपनी और उसके अधिकारियों के साथ *नियमित संपर्क* में है *और कंपनी के संचालन की जानकारी रखते हैं* / इसका प्रयोजन यह भी *है* कि *इसके दायरे में उन लोगों को भी लाया जाएगा जिनकी* किसी भी संबंध के आधार पर किसी भी कंपनरी या कंपनियों के वर्ग के बारे में *अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सामग्री तक पहुंच है या हो सकती है* जिससे उनके पास *अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील* सूचना हो सकती है।

2.7 **'नामित कर्मचारी'** *से तात्पर्य*: -

I. कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य , प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य सतर्कता अधिकारी;
II. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारी, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी ;
III. सभी कर्मचारी कार्यरत पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय , एचएसएमआई, क्षेत्रीय और विकास कार्यालयों में ई- 0 और ऊपर के स्तर के कार्यरत् सभी कर्मचारी ;
IV. उपर्युक्त (i) से (iii) के नजदीकी रिश्तेदार ;
V. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कर्मचारी, चाहे स्थायी हो या संविदात्मक;

यदि कोई भी नामित कर्मचारी कंपनी की सेवाएं छोड़ता है, तो उसे कंपनी छोड़ने की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए नामित कर्मचारी माना जाता रहेगा।

2.8 **'नामित व्यक्तियों** से अभिप्राय : -

(i) कंपनी के प्रमोटर्स ;

(ii) कंपनी का नामित कर्मचारी;

(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और किसी भी मध्यस्थ, प्रत्ययी और उसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से दो स्तर तक के नीचे के कर्मचारी, चाहे कंपनी में उनकी कार्यात्मक भूमिका या क्षमता, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच हेतु, कुछ भी हो ; और

(iv) कंपनी का कोई भी सहायक कर्मचारी, मध्यस्थ या प्रत्ययी जैसे आईटी कर्मचारी या सचिवीय कर्मचारी जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच रखता हो ।

2.9 **'निदेशक' का** तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य से है और 'कार्यात्मक निदेशक' का तात्पर्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक से है ।

2.10 **'मुक्त अवधि'** से आशय 'निषिद्ध अवधि' के अलावा कोई अन्य अवधि।

2.11 **'सामान्य रूप से उपलब्ध सूचना'** से अभिप्राय उस सूचना से है जो बिना किसी भेदभाव के आधार पर जनता के लिए सुलभ हो। इस प्रयोजन के लिए , स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी , आमतौर पर सामान्यतः उपलब्ध माना जाएगा ।

2.12 **'नजदीकी** रिश्तेदार **' से व्यक्ति के जीवनसाथी**, और शामिल माता-पिता , भाई-बहन, और ऐसे व्यक्ति या जीवनसाथी के बच्चे जिनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति पर या तो वित्तीय रूप से आश्रित है, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है ।

2.13 **'अंदरूनी** सूत्र' से आशय कोई भी व्यक्ति है जो :

क) संबद्ध व्यक्ति; या
ख) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का होना या उस तक पहुंच ।

इसके अलावा , अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति एक " वैध व्यक्ति " के अनुसार , " अंदरूनी सूत्र " माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को संहिता के अनुपालन में ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के

लिए उचित सूचना दी जाएगी.

2.14 **'अंदरूनी व्यापार '** का अर्थ है जब इनसाइडर प्रतिभूतियों में व्यापार (खरीदने और बेचने दोनों सहित) से संबंधित निर्णय पर पहुंचने के लिए ' अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी ' का उपयोग करते हैं, तो कार्रवाई को इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2.15 कंपनी के संबंध में 'प्रमुख **प्रबंधकीय कार्मिक' या 'केएमपी'** , से आशय :

क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या प्रबंधक ;
ख) पूर्णकालिक निदेशक(गण);
ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी;
घ) कंपनी सचिव; और
ङ) ऐसा अन्य अधिकारी जिसे निर्धारित किया जाए।

2.16 **'वैध उद्देश्य ',** इसमें व्यवसाय के सामान्य क्रम में यूपीएसआई साझा करना अर्थात कर्तव्यों का पालन, कानूनी दायित्वों का निर्वहन इनसाइडर द्वारा साझेदार, सहयोगी , ऋणदाता , ग्राहक , आपूर्तिकर्ता , व्यापारी प्रतिबंध सलाहकार लेखा परीक्षक, दिवालियापन पेशेवरों या अन्य सलाहकार या परामर्शदाता के साथ जैसे कार्य शामिल होंगे बशर्ते कि ऐसा साझाकरण विनियमों के निषेध से बचने या उसे दरकिनार करने के लिए नहीं किया गया हो ।

2.17 **'अधिकारी** से आशय, कोई भी व्यक्ति,जैसा कि कंपनी अधिनियम,2013 की धारा में परिभाषित है,अर्थात कोई भी निदेशक, प्रबंधक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या किसी भी व्यक्ति सहित, जिसके दिशा निदेश या निर्देशों के अनुसार या निदेशकों में से कोई एक या अधिक निदेशक कार्य करने के लिए अभ्यस्त है।

2.18 **'निषिद्ध अवधि'** से आशय वह अवधि है जिसके दौरान 'ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है। ऐसी निषिद्ध अवधि आमतौर पर उस बैठक की तारीख से 7 दिन पहले शुरू होती है निदेशक मंडल को किसी मूल्य संवेदनशील सूचना पर विचार करना होता है और बोर्ड की बैठक के समापन के 48 घंटे बाद समाप्त होती है।

वित्तीय परिणामों के मामले में, निषिद्ध अवधि प्रत्येक तिमाही के अंत से शुरू होकर संबंधित तिमाही/ अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे के बाद तक हेती है।

इसके अतिरिक्त, ऐसी अन्य अवधि जो अनुपालन अधिकारी द्वारा समय- समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के परामर्श/अनुमोदन से निर्दिष्ट की जा सकती है।

2.19 **'प्रमोटर' और 'प्रमोटर समूह ' का वही अर्थ** होगा जो उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम , 2018 या उसके किसी संशोधन के अंतर्गत दिया गया है ।

2.20 ' **विनियम'** का अर्थ है सेबी (निषेध) इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित;

2.21 **'प्रतिभूति' का** अर्थ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 या उसके किसी संशोधन के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जायेगा, सिवाय म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ को छोड़कर; हडको के मामले में, प्रतिभूति का अर्थ हुडको द्वारा समय-समय पर स्टॉक एक्सेचेंज में सूचीबद्ध जारी की गई प्रतिभूतियां जैसे इक्विटी शेयर और बॉन्ड होगा।

2.22 **'शांत 'अवधि' का** अर्थ है वितीय परिणामों के प्रकाशन से पहले/बाद की अवधि है, जिसके दौरान निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों के साथ सिद्धांत रूप में कोई बैठक और प्रस्तुतियां आयोजित नहीं की जा सकतीं।

ऐसी शांत अवधि उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन वित्तीय परिणामों / मूल्य संवेदनशील सूचना पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों/निदेशकों को दी जाती है और

जैसे ही यूपीएसआई सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करा दी जाती है, अर्थात स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है या बोर्ड बैठक के समापन के 48 घंटे बाद , जो भी पहले हो , या ऐसी अन्य अवधि जो अनुपालन अधिकारी द्वारा समय- समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श/ अनुमोदन से निर्दिष्ट की जाए, समाप्त हो जाती है।

2.23 **'निर्दिष्ट'** का अर्थ है बोर्ड द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट

2.24 'अधिग्रहण **विनियमन** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और टेकओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम,2011 और इसमें कोई संशोधन ।

2.25 **'व्यापार' का** अर्थ है और इसमें किसी भी प्रतिभूतियों में सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना , सौदा करना या सदस्यता लेने के लिए सहमत होना, खरीदना, बेचना, सौदा करना करने के लिए सहमत होना शामिल है और ' व्यापार ' की तदनुसार व्याख्या की जाएगी ।

2.26 **' ट्रेडिंग दिवस '** से तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापार के लिए खुले हैं जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

2.27 **'ट्रेडिंग ' विंडो '** का अर्थ है कंपनी की प्रतिभूतियाँ में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग अवधि । ट्रेडिंग विंडो बंद होने के अलावा सभी दिन ट्रेडिंग अवधि में होंगे .

2.28 **'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ' या ' यूपीएसआई ' का अर्थ है** कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी सूचना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, जो सामान्य रूप से उपलब्ध होने पर , प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना है और इसमें सामान्य रूप से शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं , निम्नलिखित से संबंधित जानकारी :

क) वित्तीय परिणाम ;
ख) लाभांश ;
ग) पूंजी संरचना में परिवर्तन ;
घ) विलय,विलयन,अधिग्रहण,डीलिस्टिंग,व्यापार का निपटान और विस्तार और ऐसे अन्य लेन-देन ;
ङ) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन ; और
च) कोई अन्य मामला जिसे अनुपालन अधिकारी द्वारा इस संहिता के तहत मूल्य संवेदनशील सूचना घोषित किया जाए।

अन्य सभी शब्द और प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ और सेबी *(अंदरूनी व्यापार पर प्रतिबंध) विनियम , 2015 के तहत परिभाषित नहीं किया गया लेकिन भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 , प्रतिभूति* अनुबंध *(विनियमन) अधिनियम , 1956 , डिपाजिटरी अधिनियम , 1996 या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों* में परिभाषित, *के वही अर्थ होंगे जो उस विधान में दिए गए हैं ।*

अध्याय 3

अनुपालन अधिकारी

3.1 **अनुपालन** अधिकारी

कंपनी सचिव इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अनुपालन अधिकारी होगा। उसकी अनुपस्थिति में, कोई अन्य अधिकारी जो महाप्रबंधक के पद से नीचे के स्तर का न हो, जो वित्तीय रूप से जानकार हो और इन विनियमों के तहत कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत अनुपालन अधिकारी के कर्तव्यों का निवर्हन करेगा। अनुपालन अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा और विशेष रूप से, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को , यदि कोई हो, या निदेशक मंडल के अध्यक्ष को , वर्ष में एक बार रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा ।

निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति, वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करेगी, तथा यह सत्यापित करेगी कि सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित शामिल होंगे :

क) सभी कर्मचारी जिनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच है, उन्हें नामित कर्मचारी के रूप में पहचाना जाता है ;

ख) सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना की पहचान की जाएगी और इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी ;

ग) विनियमों द्वारा अपेक्षित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के संचार या प्राप्ति पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाए गए हैं ;

घ) उन सभी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची रखी जाएगी, जिनके साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना साझाा की गई है, और गोपनीयता समझौते होंगे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या ऐसे सभी कर्मचारियों और व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा।;

ङ) इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी अन्य प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा;

च) ऐसे आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक

प्रक्रिया समीक्षा.

अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए, अनुपालन अधिकारी को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाएगा और पर्याप्त जनशक्ति और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा ताकि वह अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। अपने कर्तव्यों के निष्पादन में , अनुपालन अधिकारी को कंपनी की प्रतिभूतियों, नामित कर्मचारियों और मूल्य संवेदनशील जानकारी से संबंधित सभी सूचनाओं और दस्तावेजों तक पहुंच होगी ।

अनुपालन अधिकारी को नामित कर्मचारियों का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा और समय समय पर सूची में हुए सभी परिवर्तन को उसमें शामिल करेगा।

अनुपालन अधिकारी विनियमों और इस संहिता के अनुपालन और प्रभावी विनियमन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी के साथ निपटने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

3.2 अनुपालन अधिकारी के कर्तव्य :

क) वह नामित कर्मचारियों का रिकॉर्ड और नामित कर्मचारियों की सूची में किए गए परिवर्तन को निर्धारित प्रपत्र में (फॉर्म- आर-1) में बनाए रखेगा;

ख) वह निदेशक वित्त के परामर्श से और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से, समय-समय पर निषिद्ध अवधि निर्दिष्ट करें और तुरंत इसकी घोषणा करें ;

ग) वह निर्धारित प्रारूप (रूप- आर-2) में समय समय पर निर्दिष्ट प्रतिबंधित अवधि/ ट्रेडिंग विंडो के बंद होने का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

घ) वह कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के तहत नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने, 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ' के संरक्षण के लिए नियमों के अनुपालन की निगरानी, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के व्यापार की पूर्व-समाशोधन, ट्रेडों की निगरानी और आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

ङ) वह प्रमोटरों , निदेशकों , मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए उपयुक्त प्रपत्र में प्रस्तुत सभी घोषणाओं का रिकार्ड न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक बनाए रखेगा ;

च) वह समय समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के समक्ष कंपनी के नामित कर्मचारियों द्वारा , प्रतिभूतियों में किए गए लेन -देन का ब्यौरा तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा इन नियमों में परिकल्पित पूर्व लेनदेन प्रक्रिया के तहत निष्पादित किए गए संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।;

छ) इस संहिता के अंतर्गत आने वाले नामित कर्मचारियों को विनियमों और इस संहिता के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण का निराकरण करने में सहायता करना; और

ज) इस संहिता या सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम , 2015 के तहत सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारी।

अध्याय- 4

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना **का संचार या प्राप्ति**

4.1 सभी नामित व्यक्ति और उनके नजदीकी रिश्तेदार उनके पास या नियंत्रण में आने वाली अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना की गोपनीयता बनाए रखेंगे। सभी जानकारी को संगठन के भीतर आवश्यकता के आधार पर संभाला जायेगा और किसी भी व्यक्ति को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं दी जाएगी, सिवाय अंदरूनी लोगों के वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या उसके कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए । इसके अलावा, इस गोपनीयता दायित्व का अनुपालन करने के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, किसी भी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा निम्न स्वरूप में अपेक्षित नहीं होगा:

(i) कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए सिफारिश करने के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य संवेदनशील सूचना देना , या

(ii) अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, व्यावसायिक सहयोगियों या किसी अन्य व्यक्ति को मूल्य संवेदनशील सूचना को प्रकट करना, या

(iii) सार्वजनिक स्थलों पर मूल्य संवेदनशील सूचना के बारे में चर्चा करना , या

(iv) किसी अन्य कर्मचारी को मूल्य संवेदनशील सूचना को प्रकट करना जिसे अपने पेशेवर कर्तव्यां के निर्वहन के लिए सूचना की आवश्यकता नहीं है, या

(v) किसी को यह सलाह देना कि वे मूल्य संवेदनशील सूचना के कब्जे , नियंत्रण या ज्ञान में रहते हुए कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन कर सकते हैं , या

(vi) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर कंपनी की प्रतिभूतियों में काम करते हुए देखा या समझा जाना।

बशर्ते कि ऊपर दी गई कोई भी बात कारोबार या पेशे या रोजगार के सामान्य अनुक्रम में या किसी कानून के तहत अपेक्षित किसी भी संचार पर लागू नहीं होगी।

4.2 कोई भी आंतरिक व्यक्ति कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को अन्य आंतरिक व्यक्तियों सहित किसी भी व्यक्ति को संप्रेषित, प्रदान या उस तक पहुंच की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा संचार वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए हो। ।

4.3 कोई भी व्यक्ति किसी भी अंदरूनी सूत्र से कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए

प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना प्राप्त नहीं करेगा या उसके संचार का कारण नहीं बनेगा , सिवाय इसके कि यह बैध उद्देश्यों , कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए है।

इस संहिता के प्रयोजन के लिए, एक अंदरूनी सूत्र साझेदारों, सहयोगियों , उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालियापन पेशेवरों या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओ, नियामक प्राधिकरण या अन्य कोई एजेंसी _के साथ व्यापार के सामान्य क्रम में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना साझा कर सकता है जिसे वैध प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह का साझाकरण इस संहिता के निषेधों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए नहीं किया गया हो।

4.4 संहिता में निहित किसी भी बात के बाबजूद, किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को किसी लेन देन के संबंध में संप्रेषित किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, उस तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है या प्राप्त किया जा सकता है, जो : -

(i) अधिग्रहण विनियमों के तहत खुली पेशकश करने का दायित्व शामिल है जहां सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल की यह राय हो कि ऐसी जानकारी साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है ;

(ii) अधिग्रहण विनियमों के अंतर्गत खुली पेशकश करने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन जहां सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल की यह सुविचारित राय है कि ऐसी सूचना को साझा करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का गठन करने वाली सूचना को प्रस्तावित लेनदेन से कम से कम दो कारोबारी दिन पहले ऐसे रूप में आम तौर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रसारित किया जाता है, जिसे निदेशक मंडल सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त और उचित मान सकता है।

4.5 खंड 4.4 के प्रयोजन के लिए, पक्षकार अपनी ओर से गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे पक्षकार खंड 4.4 के प्रयोजन को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के कब्जे में होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यापार नहीं करेंगे।

4.6 इसके अलावा, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ एक संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाए रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: ऐसे व्यक्तियों के नाम या संस्थाएं, जिनके साथ स्थायी खाता संख्या या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता सहित, जहॉ स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना साझा की जाती है ।

4.7 अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी अनुबंध-क में निर्धारित निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया संबंधी संहिता को भी अपनाती है।

4.8 गोपनीय जानकारी तक सीमित पहुंच - गोपनीय जानकारी वाली फाइलें सुरक्षित रखी जाएंगी। कंप्यूटर फाइलों में लॉग-इन और पासवर्ड, आदि की पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए।

4.9 कोई भी हुडको कर्मचारी हडको की मुखबिर नीति के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के लीक होने की किसी भी घटना की रिपोर्ट कर सकता है,

अध्याय- 5

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना होने पर व्यापार करना

5.1 कोई भी अंतरंगी व्यक्ति उन प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है, जब उसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी हो।

जब प्रतिभूतियों में कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होती है, तो यह माना जाएगा कि उसके कारोबार की प्रेरणा उसके पास मौजूद ऐसी जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से मिली है।

बशर्ते कि अंदरूनी व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रदर्शित करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है:

(i) यह लेन-देन उन अंदरूनी लोगों के बीच एक ऑफ-मार्केट इंटर-से ट्रांसफर है, जिनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी, जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संचार या खरीद से संबंधित अध्याय-4 का उल्लंघन किए बिना थी और दोनों पक्षों ने एक सचेत और अवगत व्यापार निर्णय लिया था और अंदरूनी लोगों द्वारा कंपनी को दो कार्य दिवसों के भीतर इसकी सूचना दी गई थी। कंपनी प्रकटीकरण की प्राप्ति या ऐसी जानकारी के बारे में पता चलने से दो कारोबारी दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसे ट्रेडों के विवरण की सूचना देगी। बशर्ते कि ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना अध्याय-4 के खंड 4.4 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की गई हो।

(ii) यह लेन-देन ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के माध्यम से उन व्यक्तियों के बीच किया गया था, जिनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना थी, जो अध्याय-4 का उल्लंघन किए बिना थी और दोनों पक्षों ने सचेत और सूचित व्यापार निर्णय लिया था। बशर्ते कि ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना अध्याय-4 के खंड 4.4 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी।

(iii) विचाराधीन लेन-देन एक वैधानिक या विनियामक दायित्व के अनुसरण में किया गया था, जो एक वास्तविक लेन-देन करने के लिए था।

(iv) लेन-देन स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसरण में किया गया था, जिसके संबंध में प्रयोग मूल्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व-निर्धारित था।

(v) गैर-व्यक्तिगत अंदरूनी लोगों के मामले में: -

क) जिन व्यक्तियों के पास ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना थी, वे व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों से भिन्न थे और ऐसे निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं थी, जब उन्होंने व्यापार करने का निर्णय लिया था; तथा

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद थीं कि इन प्रावधानों का उल्लंघन न हो और जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं दी गई थी और ऐसी व्यवस्थाओं के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है;

(vi) व्यापार इस संहिता के अनुसार स्थापित व्यापार योजना के अनुसार किए गए थे

संबद्ध व्यक्तियों के मामले में, यह स्थापित करने का दायित्व कि उनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं थी, ऐसे संबद्ध व्यक्तियों पर होगा।

अध्याय- 6

ट्रेडिंग विंडो

6.1 व्यापार बंधन

सभी नामित व्यक्ति और उनके निकटतम रिश्तेदार नीचे उल्लिखित व्यापार प्रतिबंधों के अध्यधीन होंगे ।

6.2 ट्रेडिंग विंडो

कंपनी अपनी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए एक व्यापारिक अवधि निर्दिष्ट करेगी, जिसे 'ट्रेडिंग विंडो' कहा जाएगा। सभी नामित व्यक्ति और उनके निकटतम रिश्तेदार कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो। जिस अवधि के दौरान ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है उसे 'निषिद्ध अवधि' कहा जाएगा।

6.3 कोई भी नामित व्यक्ति या उनके नजदीकी रिश्तेदार कंपनी की प्रतिभूतियों में अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उस अवधि के दौरान व्यापार नहीं करेंगे जब 'ट्रेडिंग विंडो' बंद हो, जब तक कि ऐसे व्यापार ट्रेडिंग योजना के अनुसार न हों या सेबी इनसाइडर विनियमों के तहत अन्यथा अनुमति न दी गई हो। निम्नलिखित घटनाओं में ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी जाएगी:

प्रतिबंधित अवधि

क्र. सं	कार्यक्रम/ विवरण	से	तक
(i)	तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा।	प्रत्येक तिमाही/अर्धवर्ष/वित्तीय वर्ष के अंत में	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया

			जाएगा
(ii)	अंतरिम लाभांश की घोषणा	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा
(iii)	अंतिम लाभांश की सिफारिश	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा
(iv|	विलय, विभाजन, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यवसाय का विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा
	कंपनी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य घटना	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा	बोर्ड की बैठक की तारीख के आधार पर अनुपालन अधिकारी

			द्वारा अधिसूचित किया जाएगा

टिप्पणी : "मूल्य संवेदनशील सूचना" जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद है, के सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाने के पश्चात, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देने के दिन को छोड़कर, ट्रेडिंग विंडो 48 घंटे तक बंद रहेगी।

6.4 लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड बैठक द्वारा लेखाओं के निपटान के बीच का अंतर यथासंभव न्यूनतम और अधिमानत: वही दिन होना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी के लीक होने से बचा जा सके। :

6.5 वित्तीय परिणामों की घोषणा के अलावा किसी अन्य घटना के घटित होने की स्थिति में, बंद होने की अवधि निदेशक मंडल की बैठक आयोजित किए जाने की प्रस्तावित तिथि से 5 दिन पहले से प्रभावी होगी और सूचना सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बढ़ाई जाएगी। ट्रेडिंग विंडो बंद करने की उक्त अवधि में ट्रेडिंग विंडो बंद करने की सूचना की तिथि और बोर्ड मीटिंग की तिथि शामिल नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि निदेशक मंडल की बैठक 15 जनवरी को निर्धारित है, तो ट्रेडिंग विंडो को 11 बजे जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रखना होगा और इसके संबंध में सूचना 1 जनवरी को या उससे पहले देनी होगी।

तथापि, असाधारण परिस्थितियों में और लिखित में दर्ज कारणों से, ***कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से*** बोर्ड की बैठक से पहले ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की अवधि बढ़ाई***/घटाई*** जा सकती है/

6.6 अनुपालन अधिकारी "बंद ट्रेडिंग विंडो" की अवधि का एक रजिस्टर बनाए रखेगा , जिसमें वह ट्रेडिंग विंडो का बंद होना और खुलना तथा वह उद्देश्य जिसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद की गई है, की तारीख दर्ज करेगा।

6.7 कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के मामले में, विकल्प का प्रयोग और ईएसओपी के प्रयोग हेतु आबंटित शेयरों की बिक्री, सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों के अनुसार शासित होगी।

अध्याय 7

प्रतिभूतियों में लेनदेन की पूर्व-मंजूरी

7.1 प्रयोज्यता

सभी नामित व्यक्ति, जो नीचे उल्लिखित न्यूनतम सीमा से परे अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रतिभूतियों में सौदा करने का इरादा रखते हैं, उन्हें नीचे वर्णित पूर्व सौदा प्रक्रिया के अनुसार लेनदेन की पूर्व-मंजूरी प्राप्त करनी होगी: -

प्री-क्लियरेंस के लिए आवेदन केवल वैध ट्रेडिंग विंडो अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने वाले ट्रेडों के लिए किया जाएगा। ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने वाले ट्रेड के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन अमान्य होंगे और उन्हें स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दिया गया माना जाएगा।

यदि सौदा एकल लेनदेन में 25,000 या इससे कम इक्विटी शेयरों के लिए है और/या एक सप्ताह के भीतर लेनदेन की श्रृंखला में 50,000 से कम इक्विटी शेयरों का कारोबार किया जाना है, तो पूर्व-मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।

7.2 **पूर्व मंजूरी प्रक्रिया**

व्यापार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म-1) में वैध ट्रेडिंग विंडो के दौरान अनुपालन अधिकारी को किया जा सकता है।

ऐसे नामित व्यक्ति द्वारा कंपनी के पक्ष में एक वचनबद्धता निष्पादित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित धाराएँ शामिल होंगी, जो लागू हो सकती हैं:

(क) कि उसके पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नहीं है;

(ख) कि यदि उसे वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेनदेन के निष्पादन से पहले अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना' प्राप्त होती है या उस तक उसकी पहुँच है, तो वह अपनी स्थिति में हुए परिवर्तन के बारे में अनुपालन अधिकारी को सूचित करेगा और जब तक ऐसी सूचना सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक वह कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से पूरी तरह परहेज करेगा;

(ग) कि उसने कंपनी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है; और

(घ) कि उसने मामले में पूर्ण और सत्य प्रकट किया है।

7.3 अनुमोदन

अनुपालन अधिकारी पूर्व-मंजूरी आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व-मंजूरी आवेदन इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार और अनुपालन में है, तो अनुपालन अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के समय से तुरंत लेकिन 48 घंटे से अधिक नहीं, पूर्व-मंजूरी संप्रेषित करने का प्रयास करेगा।

अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूतियों में लेनदेन की पूर्व-मंजूरी के लिए, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

प्रत्येक स्वीकृति पत्र **फॉर्म- II** में जारी किया जाएगा। प्रत्येक स्वीकृति दिनांकित होगी और ऐसी स्वीकृति की तिथि से सात कारोबारी दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। पूर्व-मंजूरी प्राप्त ट्रेडों को स्वीकृति की तिथि से **सात कारोबारी दिनों** की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए, अन्यथा निष्पादित किए जाने वाले ट्रेडों के लिए नए पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी ।

तथापि, ऐसी स्वीकृति स्वतः ही मिल जाती है यदि ऐसी अवधि ट्रेडिंग विंडो के बंद होने से समाप्त हो जाती है, तो इसे वापस ले लिया गया माना जाएगा ।

अनुपालन अधिकारी सभी आवेदनों और पावती की प्रतियां अपने पास रखेगा तथा निर्धारित प्रारूप **(फॉर्म- आर-3)** में व्यापार की पूर्व-मंजूरी का रजिस्टर भी बनाए रखेगा ।

असाधारण परिस्थितियों में सहमति नहीं दी जा सकती है, यदि अनुपालन अधिकारी की राय है कि प्रस्तावित सौदा किसी 'अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना' के आधार पर है। सहमति न देने के लिए कोई कारण बताने की बाध्यता नहीं होगी।

7.4. व्यापार योजनाएं

7.4.1 एक अंदरूनी सूत्र एक व्यापार योजना तैयार करने और उसे अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का हकदार होगा जिसके अनुसरण में ऐसी योजना के अनुसार उसकी ओर से व्यापार किया जा सकता है

7.4.2 ऐसी व्यापार योजना :

(i) योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने से पहले अंदरूनी सूत्र की ओर से व्यापार शुरू करने की आवश्यकता नहीं है;

(ii) किसी भी वित्तीय अवधि के अंतिम दिन से पहले बीसवें कारोबारी दिन और ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के बाद दूसरे कारोबारी दिन के बीच की अवधि के लिए व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है;

(iii) बारह महीने से कम की अवधि के लिए व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है;

(iv) किसी भी अवधि के ओवरलैप की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए एक और व्यापार योजना पहले से ही अस्तित्व में है;

(v) या तो किए जाने वाले व्यापारों का मूल्य या व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या के साथ-साथ व्यापार की प्रकृति और अंतराल या तिथियाँ निर्धारित करें जिन पर ऐसे व्यापार किए जाएंगे; और

(vi) बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है।

7.4.3 अनुपालन अधिकारी ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या योजना में विनियमों के उल्लंघन की कोई संभावना है और वह ऐसे आकलन के लिए आवश्यक स्पष्ट वचन लेने का हकदार होगा तथा योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित और निगरानी करेगा।

बशर्ते कि अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित व्यापार के लिए व्यापार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

यह भी प्रावधान है कि ट्रेडिंग विंडो मानदंड और कॉन्ट्रा ट्रेड पर प्रतिबंध अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों पर लागू नहीं होंगे।

7.4.4 एक बार स्वीकृत हो जाने पर ट्रेडिंग योजना अपरिवर्तनीय होगी और अंदरूनी सूत्र को अनिवार्य रूप से योजना को क्रियान्वित करना होगा, तथा उसे इससे विचलित होने या ट्रेडिंग योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में कोई व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा।

बशर्ते कि ट्रेडिंग योजना का कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया जाएगा, यदि कोई हो, योजना के निर्माण के समय अंदरूनी सूत्र के कब्जे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में अनुपालन अधिकारी पुष्टि करेगा कि प्रारंभ को तब तक स्थगित किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना सामान्य रूप से उपलब्ध जानकारी नहीं बन जाती है, ताकि अध्याय-5 के 5.1 के उल्लंघन से बचा जा सके।

7.4.5 ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन के बाद, अनुपालन अधिकारी उस योजना को उन स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित करेगा जिन पर प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं।

7 .5 अन्य प्रतिबंध

7.5.1 सभी नामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना व्यापार केवल ऊपर उल्लिखित "वैध ट्रेडिंग विंडो" अवधि में ही करेंगे तथा पूर्व लेनदेन के बाद अगले छह महीनों के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में "कॉन्ट्रा ट्रेड" अर्थात् विपरीत या रिवर्स लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे।

7.5.2 अनुपालन अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे प्रतिबंध के सख्त कार्यान्वयन से छूट देने का अधिकार है , बशर्ते कि ऐसी छूट सेबी अंदरूनी सूत्र व्यापार विनियम/ कोड का उल्लंघन नहीं करता .

7.5.3 यदि किसी प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए अनजाने में या अन्यथा कोई कॉन्ट्रा ट्रेड निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे ट्रेड से होने वाले लाभ को भारतीय प्रतिभूति और

विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रशासित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में जमा करने के लिए वापस किया जाएगा। हालाँकि, यह प्रतिबंध किसी स्वीकृत ट्रेडिंग योजना के अनुसार किए गए ट्रेडों पर लागू नहीं होता है।

7.5.4 प्राथमिक बाजार में अभिदान के मामले में (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/ आगे सार्वजनिक प्रस्ताव) उपर्युक्त संस्थाएं अपने निवेश को कम से कम 30 दिनों तक धारण करेंगी । उनकी धारण अवधि तब शुरू होगी जब प्रतिभूतियाँ वास्तव में आवंटित की जाएँगी।

7.5.5 ऐसे मामलों में जहां प्रतिभूतियों की बिक्री व्यक्तिगत आपातकाल के कारण आवश्यक हो, अनुपालन अधिकारी इस संबंध में लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद होल्डिंग अवधि को माफ कर सकता है। होल्डिंग अवधि की छूट के लिए आवेदन अनुपालन अधिकारी को किया जाएगा, जो निर्धारित प्रपत्र {फॉर्म-आर-4) में न्यूनतम छह माह की अवधि (आईपीओ/एफपीओ आवंटन के मामले में 30 दिन) के लिए 'प्रतिभूतियों में निवेश धारण करने पर प्रतिबंध की छूट' का रजिस्टर बनाए रखेगा।

7.5.4 कोई भी कर्मचारी कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में किसी अन्य शेयरधारक या किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ लाभ साझा करने हेतु समझौता नहीं करेगा, जब तक कि इस संबंध में बोर्ड और शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।

7.6 पूर्व-मंजूरी प्राप्त लेनदेन का पूरा होना

(क) सभी नामित व्यक्ति सौदे के निष्पादन के सात दिनों के भीतर अनुपालन अधिकारी के पास निर्धारित प्रपत्र में ऐसे सौदे का ब्यौरा दाखिल करेंगे। लेन - देन निष्पादित करने या न करने की स्थिति में , उस आशय की एक रिपोर्ट अनुपालन अधिकारी के पास दाखिल की जाएगी **(प्रपत्र III)**।

(ख) यदि कोई सौदा अनुपालन अधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार सात कारोबारी दिनों के भीतर निष्पादित नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले लेनदेन की पूर्व-मंजूरी के लिए अनुपालन अधिकारी को एक बार फिर आवेदन करेगा।

अध्याय- 8

प्रकटीकरण

8.1 प्रारंभिक प्रकटीकरण

i. प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह का सदस्य, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और कंपनी के निदेशक को इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि पर कंपनी की प्रतिभूतियों (डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के कारोबार मूल्य सहित) में अपनी होल्डिंग का खुलासा इस संहिता के प्रभावी होने के 30 दिनों के भीतर अनुपालन अधिकारी को फॉर्म ए में करना होगा;

ii. प्रत्येक व्यक्ति जिसे कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक नियुक्त किया जाता है या प्रमोटर बन जाता है, उसे ऐसी नियुक्ति या प्रमोटर बनने के सात दिनों के भीतर अनुपालन अधिकारी को; नियुक्ति की तिथि पर कंपनी की प्रतिभूतियों में अपनी होल्डिंग का खुलासा फॉर्म बी में करना होगा, और

iii. नामित व्यक्तियों को इस संहिता के प्रभावी होने या निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए फॉर्म सी में नामित व्यक्ति बनने के 30 दिनों के भीतर कंपनी को नाम और पैन या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता का खुलासा करना होगा: -

क) नजदीकी रिश्तेदार ;

ख) व्यक्तियों जिनके साथ ऐसा नामित व्यक्ति(व्यक्तियों) के बीच भौतिक वित्तीय संबंध है;

ग) उनके द्वारा प्रयोग किया गया फ़ोन, मोबाइल और सेल नंबर

इसके अतिरिक्त, उन शैक्षणिक संस्थानों के नाम जिनसे नामित व्यक्तियों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उनके पूर्व नियोक्ताओं के नामों का भी खुलासा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- "भौतिक वित्तीय संबंध" शब्द का अर्थ ऐसे संबंध से है, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे कि ऋण या उपहार के रूप में, तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, किन्तु इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं होंगे, जिनमें भुगतान अप्रत्यक्ष लेनदेन पर आधारित हो।

8.2 निरंतर प्रकटीकरण

(क) प्रत्येक प्रमोटर, प्रमोटर समूह का सदस्य , नामित व्यक्ति और कंपनी के निदेशक को कंपनी को ऐसे लेनदेन के दो कारोबारी दिनों के भीतर अधिग्रहित या निपटाए गए ऐसे प्रतिभूतियों

की संख्या (डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के कारोबारी मूल्य सहित) का खुलासा करना होगा , यदि कारोबार की गई प्रतिभूतियों का मूल्य, चाहे किसी भी कैलेंडर तिमाही में एक लेनदेन या लेनदेन की एक श्रृंखला, **कुल योग को रु.10,00,000/- (दस लाख रुपये) से अधिक का कारोबार मूल्य या ऐसा अन्य मूल्य फॉर्म डी** में **निर्दिष्ट किया जाएगा ;**

(ख) कंपनी **प्रकटीकरण की प्राप्ति के दो कारोबारी दिनों के भीतर** या सूचीबद्ध होने से **ऐसी जानकारी से अवगत** होने पर ऐसे व्यापार का विवरण उस स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचित करेगी जिस पर प्रतिभूतियाँ हैं;

स्पष्टीकरण - संदेह से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-खंड के तहत किसी प्रकटीकरण के बाद वृद्धिशील लेनदेन का प्रकटीकरण तब किया जाएगा जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद किए गए लेनदेन खंड 8.2 (ए) में निर्दिष्ट सीमा को पार कर जाते हैं।

(ग) **वार्षिक प्रकटीकरण** - प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और कर्मचारियों तथा उनके नजदीकी संबंधियों की कंपनी की प्रतिभूतियों में सभी होल्डिंग्स का वार्षिक विवरण अगले महीने की 7 तारीख तक फॉर्म ई में अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि कंपनी की प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में व्यापार को वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा अनुमति दी गई है, तो प्रतिभूतियों में व्यापार के प्रकटीकरण में कंपनी की प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में व्यापार भी शामिल होगा और डेरिवेटिव के कारोबार किए गए मूल्य को इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) नामित व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर फॉर्म-सी (1) में कंपनी को नाम और पैन या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता का खुलासा करना होगा, या जब भी जानकारी में परिवर्तन हो, तो निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए: -

(क) नजदीकी रिश्तेदार;

(ख) वे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे नामित व्यक्ति(यों) का भौतिक वित्तीय संबंध है;

(ग) उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन, मोबाइल और सेल नंबर।

इसके अलावा, जिन शैक्षणिक संस्थानों से नामित व्यक्तियों ने स्नातक किया है उनके नाम और उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम भी प्रकट किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण- "भौतिक वित्तीय संबंध" शब्द का अर्थ ऐसे संबंध से होगा जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे कि ऋण या उपहार के रूप में तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, किन्तु इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान अप्रत्यक्ष लेनदेन पर आधारित हो।

8.3 प्रकटीकरण **द्वारा जुड़े हुए** अन्य **व्यक्ति**

कंपनी किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग से फॉर्म एफ में कंपनी की प्रतिभूतियों में होल्डिंग्स और ट्रेडिंग का खुलासा करने की मांग कर सकती है**,** जैसा कि कोड के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए तय किया जा सकता है।

8.4 कंपनी द्वारा प्राप्त खुलासों के अभिलेख इस अध्याय के अंतर्गत किए गए सभी खुलासों के अभिलेखों को न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक बनाए रखा जाएगा।

अध्याय- 9

आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दंड

9.1 कोई भी नामित व्यक्ति जो कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करता है या इस संहिता के उल्लंघन में कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना संप्रेषित करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है और कंपनी के कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1986 के तहत परिभाषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है तथा कर्मचारी आचार संहिता में निर्दिष्ट कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन बंद, निलंबन, वसूली, वापसी आदि सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी अध्यधीन होगा।

9.2 यदि प्रतिभूतियों में व्यापार या यूपीएसआई का संचार किसी नामित कर्मचारी के अलावा किसी नामित व्यक्ति द्वारा इस संहिता के उल्लंघन में किया जाता है, तो अनुपालन अधिकारी उचित कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामलों की रिपोर्ट सेबी को कर सकते सेबी को रिपोर्ट करना, अनुबंध के उल्लंघन के लिए अनुबंध/समझौते की शर्तों के अनुसार परिकल्पित कार्रवाई के अतिरिक्त होगा।

9.3 कंपनी की कार्रवाई सेबी और अन्य प्राधिकारियों को सेबी (निषेध संशोधित नियम, 2015 (अंदरूनी व्यापार नियमन) के उल्लंघन के मामले में कोई भी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी।

9.4 नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा किए गए ऐसे उल्लंघनों की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सेबी को करें। (फॉर्म IV)

9.5 नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का डेटाबेस बनाए रखें, जिससे उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।

<u>अध्याय- 10</u>

संशोधन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उद्योग अभ्यास, परिचालन बिंदु और/या नीति में शामिल कानूनी ढांचे के नियमों और विनियमन में परिवर्तन के मामले में संहिता में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा, सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 में संशोधन के परिणामस्वरूप संहिता में कोई भी संशोधन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की मंजूरी से किया जाएगा।

अध्याय- 11

मिश्रित

नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए इस आचार संहिता और इसके प्रत्येक संशोधन की सूचना तुरंत उन स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी, जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

इसके अलावा, उक्त संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

अस्वीकरण

यह नीति केवल आंतरिक आचार संहिता है और अंदरूनी व्यापार से बचने के उपायों में से एक है। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को सेबी विनियमन से खुद को परिचित करना आवश्यक है क्योंकि इस कोड , सेबी विनियमन और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति (और उसके रिश्तेदारों) की जिम्मेदारी होगी ।

अनुबंध- क

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रिया।
(सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियमन 8(1) के अनुसार

---

2. बाजार की अफवाओं पर प्रतिक्रियाएं

1.1 श्री राजिंदर पॉल, जो वर्तमान में कार्यकारी निदेशक वित्त (संचालन) के पद का प्रभार संभाल रहे हैं तथा कंपनी के परिचालन पर समग्र नजर रखते हैं और वित्तीय पृष्ठभूमि रखते हैं, कंपनी के निवेशक संबंध अधिकारी (आईआरओ) होंगे।

1.2 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, विभागाध्यक्ष/निवेशक संपर्क अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाली अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण करेंगे, जैसे ही विश्वसनीय एवं ठोस सूचना सामने आए, ताकि ऐसी सूचना सामान्य रूप से उपलब्ध हो सके।

1.3 विभागाध्यक्ष द्वारा अनुपालन अधिकारी को समय पर रिपोर्ट करने की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना नोट/पत्र/आईओएम/एजेंडा नोट आदि के माध्यम से , चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद विभागाध्यक्ष को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित वित्तीय निदेशक की मंजूरी मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुपालन अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। क्षेत्रीय प्रमुख संबंधित एसबीयू तथा/मुख्यालय में तैनात कार्यात्मक निदेशकों के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।

1.4 इसके अलावा, कोई भी नामित कर्मचारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना(यूपीएसआई) को वाट्सएप पर संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) / फेसबुक या कोई भी अन्य सोशल मीडिया समूह साझा / अग्रेषित नहीं करेगा.।

1.5 तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय विवरण, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात, लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों/बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य हकदारों के बीच परिचालन हेतु अनुपालन अधिकारी को पिछले कार्य दिवस के बाजार समय के बाद ही दिया

जाना चाहिए।

1.6 लेखापरीक्षा समिति द्‌वारा लेखे के निपटान और बोर्ड बैठक के बीच का अंतराल यथासंभव कम होना चाहिए तथा अधिमानतः एक ही दिन होना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी लीक होने से बचा जा सके।

2. बाजार की अफवाहों पर प्रतिक्रिया

2.1 शेयर बाजारों/नियामक प्राधिकरणों द्वारा बाजार अफवाहों के सत्यापन के लिए कोई प्रश्न या अनुरोध प्राप्त होने पर निवेशक संबंध अधिकारी उसे सत्यापन के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजेगा। इसके बाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा विधिवत अनुमोदित विभागाध्यक्ष से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी को इसकी सूचना देगा, जो शेयर बाजारों/नियामक प्राधिकरणों को इसका उत्तर देगा तथा यदि आवश्यक हो, तो अफवाहों के सत्यापन या खंडन के लिए सार्वजनिक घोषणा कर सकता है तथा समाचार रिपोर्टों या अन्यथा प्रश्नों का उचित और निष्पक्ष उत्तर भी दे सकता है।

3. शेयरधारिता/स्वामित्व तथा स्वामित्व में परिवर्तन की समय पर रिपोर्टिंग

3.1 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि प्रमुख शेयरधारकों की शेयरधारिता/स्वामित्व का खुलासा तथा स्वामित्व में परिवर्तन का खुलासा, जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा/या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम/विनियम के अंतर्गत अपेक्षित है,, समय पर तथा पर्याप्त तरीके से किया जाए।

4. विश्लेषकों, संस्थागत निवेशकों आदि के विशेष संदर्भ में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का प्रकटीकरण/प्रसार।

4.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशक(ओं) के अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशक(ओं) द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कंपनी की प्रतिभूतियों से संबंधित सूचना(ओं) का खुलासा विश्लेषकों/शोध व्यक्तियों तथा संस्थागत निवेशकों आदि को नहीं कर सकता। निवेशक संबंध अधिकारी ऐसी सभी बैठकों के लिए समन्वयक होगा जो अनुपालन अधिकारी को ऐसी बैठक के बारे में सूचित रखेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशक बैठक के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित और उपयुक्त समझें।

उपर्युक्त अधिकारी विश्लेषकों/शोध व्यक्तियों तथा संस्थागत निवेशकों आदि के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

क) **गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करना**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और/या कार्यात्मक निदेशक विश्लेषक/शोध व्यक्तियों/संस्थाओं जैसे बड़े निवेशकों आदि को केवल सार्वजनिक जानकारी ही प्रदान कर सकते हैं।

यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक(ओं) द्वारा गैर-सार्वजनिक सूचना प्रदान करने का प्रस्ताव है, तो ऐसी सूचना को अनुपालन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जाने के बाद ही साझा/प्रदान किया जाना चाहिए, संबंधित कार्यात्मक निदेशक की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्देशित अनुसार स्टॉक एक्सचेंज(ओं) और/या कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करके।

ख) अप्रत्याशित प्रश्नों का निपटान

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशकों को अप्रत्याशित प्रश्नों से सावधानीपूर्वक निपटना चाहिए।अप्रत्याशित प्रश्नों को नोट किया जा सकता है तथा निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित कार्यात्मक निदेशकों की स्वीकृति से बाद में सुविचारित उत्तर दिया जा सकता है। अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई), यदि कोई हो, तो उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित कार्यात्मक निदेशकों की स्वीकृति से स्टॉक एक्सचेंज/कंपनी की वेबसाइट/प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा पर प्रसारित करने के बाद ही दिया जा सकता है।

विश्लेषकों के प्रश्नों से निपटने में अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जो चर्चा के इच्छित दायरे से बाहर के मुद्दे उठाते हैं।

ग) चर्चा की रिकॉर्डिंग

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली सभी विश्लेषक, ब्रोकर या संस्थागत निवेशक बैठकों आदि में निवेशक संबंध अधिकारी भी शामिल होंगे तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/या कार्यात्मक निदेशक बैठक के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित और उपयुक्त समझें। प्रतिभागियों/बैठकों का विवरण निवेशक संबंध अधिकारी द्वारा अनुपालन अधिकारी को इस पुष्टि के साथ भेजा जाएगा कि बैठक के दौरान कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) साझा/चर्चा नहीं की गई है। बैठक में चर्चा कंपनी के पहले प्रकाशित तिमाही/वार्षिक परिणामों और/या उद्योग/कंपनी के बारे में सामान्य सूचना तक ही सीमित/प्रतिबंधित रहेगी।

घ) सूचना का एक साथ जारी होना

जब भी निवेशक संबंध अधिकारी निवेश विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों आदि के साथ समूह बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित कार्यात्मक निदेशक से संबंधित सूचना को अनुमोदित करवाना होगा तथा उसे स्टॉक एक्सचेंज को आगे की सूचना देने के लिए अनुपालन अधिकारी को आयोजन से पहले और बाद में अग्रेषित करना होगा।

ड) शांत अवधि के दौरान बैठकें/प्रस्तुतियाँ

शांत अवधि के दौरान, निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों आदि के साथ कोई बैठक और प्रस्तुतियाँ नहीं होंगी, जब तक कि ऐसा संचार पहले से प्रकट की गई जानकारी के तथ्यात्मक स्पष्टीकरण से संबंधित न हो।

ऐसी मौन अवधि उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन वित्तीय परिणामों/मूल्य संवेदनशील सूचना पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों/निदेशकों को दी जाएगी और जैसे ही यूपीएसआई सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएगी, यानी स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाएगी या बोर्ड बैठक के समापन के 48 घंटे बाद, जो भी पहले हो, या ऐसी अन्य अवधि जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श/अनुमोदन से अनुपालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है, समाप्त हो जाएगी।

5. प्रकटीकरण/प्रसार का माध्यम:

5.1 अनुपालन अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संबंधित कार्यात्मक निदेशक के अनुमोदन से सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं को निरंतर तथा समयबद्ध तरीके से उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित करेगा, जहां इसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं तथा उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो प्रेस को भी प्रसारित करेगा।

5.2 एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रक्रिया के रूप में, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट की गई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर शीघ्र अपडेट करके भी पूरक बनाया जा सकता है।

5.3 अनुपालन अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति आईटी विभाग को, यदि कोई हो, साथ ही कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org पर पूरक के रूप में भेजेगा।

प्रारूप- आर- 1

(कोड की धारा 3.21क के अनुसरण में)

नामित कर्मचारियों का रजिस्टर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.स.	नाम	पद नाम	विभाग	कार्य स्थल	कर्मचारी कोड	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	नामित कर्मचारी होने की तारीख	नामित कर्मचारी बंद होने की तारीख	सेशन आईडी या फोलियो नं.।	टिप्पणी

प्रारूप- **आर- 2**

(संहिता की धारा 3.2घ के अनुसरण में)

ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अवधि / निषिद्ध अवधि का रजिस्टर

1	2	3	4	5	6	7
क्र.सं.	उद्देश्य जिसके लिए ट्रेडिंग खिड़की बंद किया हुआ	ट्रेडिंग विंडो के **बंद** होने की अधिसूचना की तारीख	ट्रेडिंग विंडों बंद होने की प्रारंभिक तारीख	ट्रेडिंग विंडो के बंद होने की अंतिम तारीख	ट्रेडिंग विंडों के खुलने की तारीख	टिप्पणी

प्रारूप- I

(संहिता की धारा 7.2 के अनुसरण में)

प्रतिभूतियों में व्यापार की पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन

सेवा में,

अनुपालन अधिकारी

प्रिय महोदय,

सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार संशोधित तथा नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों (विवरण दें) की खरीद/बिक्री/सदस्यता के लिए अनुमोदन चाहता हूं:

नाम और पदनाम:
विभाग:
निदेशक/नामित कर्मचारी बनने/शामिल होने की तिथि:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र.सं.	आवेदन की तारीख को धारित प्रतिभूतियों की संख्या (आश्रित सदस्य सहित)	जिल्द सं ./डीपी पहचान और ग्राहक **पहचान**	नए लेनदेन की प्रकृति जिसके लिए स्वीकृति मांगी गई है	निपटाए जाने वाले प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या	**अनुमानित प्रतिफल मूल्य**	क्या **प्रस्तावित लेनदेन** स्वयं के नाम में है या आश्रित परिवार सदस्य के नाम में	आश्रित का नाम ,यदि लेनदेन आश्रित(ओं) के नाम में है	खरीद/आवंटन की तारीख	खरीद/आवंटन का पहले का अनुमोदन संख्या और तारीख

वचनवद्धता
(फॉर्म- I का भाग }

इस संबंध में मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ:

क) कि मेरे पास कोई "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" नहीं है।

ख) कि मेरे पास वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के समय तक कोई "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" नहीं है और/या मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

ग) कि यदि वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेनदेन के निष्पादन से पहले मुझे "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना" तक पहुँच या प्राप्त होती है, तो मैं अपनी स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में अनुपालन अधिकारी को सूचित करूँगा और जब तक ऐसी सूचना सार्वजनिक नहीं हो जाती, मैं कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करूँगा।

घ) कि मैंने हुडको में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

ङ) कि मैंने प्रस्तावित खरीद तिथि से पहले पिछले छह महीनों में कंपनी के शेयरों की कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया है/ कि मैंने प्रस्तावित बिक्री तिथि से पहले पिछले छह महीनों (आईपीओ आवंटन के मामले में 30 दिन) में कंपनी के शेयरों की कोई खरीद लेनदेन नहीं किया है।

च) मैं लेनदेन के निष्पादन के सात दिनों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट/या शून्य रिपोर्ट, यदि लेनदेन नहीं किया जाता है, प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

छ) मुझे पता है कि, यदि उपरोक्त घोषणाएं किसी भी समय भ्रामक या गलत पाई जाती हैं, तो मैं कंपनी की संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित संहिता में निर्धारित दंडात्मक परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने इस संबंध में अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण किया है।

मैं वचन देता हूँ कि यदि ट्रेडिंग विंडो बाद में बंद घोषित की जाती है तो स्वीकृत अवधि में प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करूँगा।

कृपया हुडको में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-मंजूरी प्रदान की जाए।

तारीख
स्थान...........

हस्ताक्षर.................
नाम और पदनाम ....

कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्त आवेदन की क्रम संख्या..

आवेदन प्राप्ति की तिथि और समय..

पूर्व-मंजूरी या अन्यथा संचार की तिथि और..
समय पूर्व-मंजूरी न देने के कारण

अनुपालन अधिकारी / प्राधिकृत कार्यालय के हस्ताक्षर...

फॉर्म-II

(संहिता के खंड 7.3 के अनुसार)

पूर्व-मंजूरी की सूचना का पत्र

निदेशक/नामित कर्मचारी

कर्मचारी कोड.........

पदनाम.........

प्रिय महोदय,

कंपनी की प्रतिभूतियों में कुछ लेन-देन करने के लिए अनुमोदन मांगने वाले आपके उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, कृपया सूचित किया जाए कि आप अपने आवेदन में वर्णित लेन-देन करने के लिए अधिकृत/अनधिकृत हैं।

कृपया ध्यान दें कि हुडको में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कोड के अनुसार, उपर्युक्त लेनदेन को पूर्व-मंजूरी की तारीख से सात कारोबारी दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

यह स्वीकृति आपको आपके द्वारा अपने आवेदन में की गई विभिन्न घोषणाओं, अभ्यावेदनों और वारंटियों के आधार पर जारी की जा रही है।

यह स्वीकृति पत्र (अर्थात् इस स्वीकृति की तिथि से 7 कारोबारी दिनों तक) वैध है। यदि आप इस तिथि को या उससे पहले स्वीकृत लेनदेन/सौदा निष्पादित नहीं करते हैं, तो आपको कंपनी की प्रतिभूतियों में कोई भी लेनदेन/सौदा निष्पादित करने से पहले नए सिरे से पूर्व-सौदा अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, आपको लेनदेन/सौदा की तिथि से सात (7) कारोबारी दिनों के भीतर संलग्न फॉर्मेट में निष्पादित लेनदेन का विवरण दर्ज करना होगा। यदि लेनदेन नहीं किया जाता है, तो "शून्य" रिपोर्ट आवश्यक होगी।

कृपया यह भी ध्यान दें कि हुडको में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता के अनुसार, आप खरीद या बिक्री के इस लेनदेन के बाद छह महीने की अवधि के लिए विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात कंपनी के किसी भी शेयर को बेचेंगे या खरीदेंगे।

यदि बाद में ट्रेडिंग विंडो को बंद घोषित कर दिया जाता है, तो उपरोक्त मंजूरी स्वतः ही वापस ले ली जाती है, जिसमें मंजूरी की अवधि शामिल होती है।

के लिए और हडको की ओर से

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड

अनुपालन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक:.

प्रारूप- आर- 3

(संहिता की धारा 7.3 के अनुसरण में)

प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए पूर्व मंजूरी का रजिस्टर

1	2	3	4	5	6	7
क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग	पूर्व मंजूरी आवेदन की प्राप्ति की तारीख एवं समय	लेन देन की प्रकृति (खरीद) या बिक्री)	आवेदन में इंगित प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या

8	9	10	11	12	१३
आवेदन में दर्शाया गया अनुमानित प्रतिफल मूल्य	आश्रित का नाम यदि लेन-देन आश्रित के नाम पर है	अनुपालन अधिकारी द्वारा मंजूरी के संप्रेषण की तारीख	गैर मंजूरी का कारण, यदि मंजूरी नहीं दी गई	वास्तव में कारोबार की गई प्रतिभूतियों की संख्या, यदि सूचित किया गया हो	टिप्पणी

प्रारूप -आर-4

(संहिता की धारा 7.5.5 के अनुसरण में)

अधिग्रहण के 6 महीने के भीतर (आईपीओ/एफपीओ आवंटन के मामले में 30 दिन) प्रतिभूतियों के निपटान के लिए प्रतिबंध से छूट का पंजीकरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र.सं.	**नाम**	पद नाम	विभाग	आश्रितका नाम, यदि शेयर आश्रित के नाम पर रखे गये है	शेयरों की संख्या	मूल्य	छूट का कारण	छूट के संप्रेषण की तारीख	टिप्पणी

प्रारूप- III

(संहिता की धारा 7.6(क) के अनुसरण में)

प्रारूप के लिए खुलासा पूर्व-स्वीकृत लेनदेन के खुलासा हेतु प्रारूप

((कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन/डीलिंग के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

अनुपालन अधिकारी

आवास और शहरी विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रिय महोदय ,

पूर्व-स्वीकृत लेन-देन का विवरण

संदर्भ: आपका अनुमोदन पत्र संख्या .... **दिनांक ....**

मैं आपको एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि :

- किसी भी प्रतिभूति को खरीदा/बेचा/सब्सक्राइब नहीं किया है
- नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों (विवरण दें) को खरीदा/बेचा/सब्सक्राइब किया है (तारीख डालें)

1	2	3	4	5	6
धारक का नाम	पहला या संयुक्त धारक •	निपटाए गए प्रतिभूतियों की संख्या	खरीदा / बेचा / सदस्यता ली	डीपी आईडी/क्लाइंट (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) जहां प्रतिभूतियों को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा या फोलियो नंबर। भौतिक प्रतिभूतियों के लिए	मूल्य(रू.)
	..				

* "एफ" पहला धारक " जे " संयुक्त धारक

उपर्युक्त लेन-देन के संबंध में, मैं निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज़ को 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखने तथा अनुपालन अधिकारी/सेबी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ:

1. ब्रोकर का अनुबंध नोट

2. ब्रोकर को/से भुगतान का प्रमाण

3. बैंक पासबुक/स्टेटमेंट का अंश (डीमैट लेन-देन के मामले में प्रस्तुत किया जाना है।)

4. डिलीवरी निर्देश पर्ची की प्रति (बिक्री लेन-देन के मामले में लागू)

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है और उपरोक्त लेनदेन को करने के लिए कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग कोड और/या लागू कानूनों/विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इस लेनदेन की तिथि से 6 महीने (आईपीओ/एफपीओ आवंटन के मामले में 30 दिन) की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों में खरीद या बिक्री जैसे विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और न ही करूंगा। यदि उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूतियों को बेचने की कोई तत्काल आवश्यकता है, तो मैं आवश्यक अनुमोदन (खरीद/सदस्यता के मामले में लागू) के लिए कंपनी (अनुपालन अधिकारी) से संपर्क करूंगा।

शुभेच्छु,

हस्ताक्षर..............................
नाम...................................
रोजगार कोड.......................
विभाग/प्रभाग.....................

फॉर्म- IV

हुडको द्वारा उल्लंघन के लिए सेबी को रिपोर्ट

(संहिता के खंड 9.4 के अनुसार)

क्र.स.	**विवरण**	ब्यौरा
1	सूचीबद्ध कंपनी/मध्यस्थ/न्यायिक का नाम	
2	कृपया उपयुक्त चेकबॉक्स पर टिक करें निम्न क्षमता में रिपोर्टिंग: • सूचीबद्ध कंपनी • मध्यस्थ • फिड्यूसियार्व	
3	नामित व्यक्ति (डीपी) का नाम डीपी के तत्काल रिश्तेदार का नाम यदि रिपोर्टिंग तत्काल रिश्तेदार के लिए है।	
4	डीपी का पैन डीपी के नजदीकी रिश्तेदार का पैन, यदि रिपोर्टिंग नजदीकीरिश्तेदार के लिए है।	
5	डीपी का पदनाम	
6	डीपी की कार्यात्मक भूमिका	
7	क्या डीपी प्रमोटर/प्रमोटर समूह है/सीएक्सओ स्तर का पद धारण करता है (जैसे सीईओ, सीएफओ, आदि)	
8	**लेनदेन का विवरण**	
	क) स्क्रिप का नाम	
	ख) कारोबार किये गये शेयरों की संख्या (जिसमें गिरवी रखे शेयर भी शामिल हैं) और मूल्य (रुपये में) (तिथिवार)	
9	यदि किसी कैलेंडर तिमाही में ट्रेड का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है - क) कोड के खंड 8 के अंतर्गत संबंधित डीपी/निदेशक/प्रमोटर/प्रमोटर समूह द्वारा कंपनी को ट्रेड की सूचना देने की तिथि।	
	ख) संहिता के खंड 8 के अंतर्गत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को व्यापार की सूचना देने की तिथि।	
10	सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 और संहिता के अंतर्गत देखे गए उल्लंघनों का विवरण।	

11	सूचीबद्ध कंपनी/मध्यस्थ/न्यायिक द्वारा की गई कार्रवाई	
12	ऊपर बताई गई कार्रवाई करने के लिए लिखित में दर्ज कारण	
१३	पिछले वित्तीय वर्ष से उल्लंघन के पिछले मामलों का विवरण, यदि कोई हो	
14	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

भवदीय

दिनांक:
स्थान:

अनुपालन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
पैन:
ईमेल आईडी: मोबाइल नंबर:

प्रारूप -क

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1970GOI005276

(संहिता के खंड 8.1(i) के अनुसरण में)

प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), कंपनी के निदेशक और सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 6 में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण।

नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन और पता संपर्क नंबर के साथ	व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/प्रमोटर समूह के सदस्य/केएमपी/निदेशक/निकटतम रिश्तेदार/अन्य आदि)	विनियमों के लागू होने की तिथि तक धारित प्रतिभूतियाँ		शेयरधारिता का %
		सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, आदि)	संख्या	
1	2	3	4	5

प्रमोटर, प्रमोटर समूह के सदस्य, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), कंपनी के निदेशक और सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 6 में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा कंपनी के डेरिवेटिव में आयोजित ओपन इंटरेस्ट (01) का विवरण।

विनियमन लागू होने की तिथि तक आयोजित भावी अनुबंधों का ओपन इंटरेस्ट		विनियमन लागू होने की तिथि तक आयोजित विकल्प अनुबंधों का ओपन इंटरेस्ट	
इकाइयों की संख्या (कॉन्ट्रेक्टस x लॉट साइज	रूपये के संदर्भ में काल्पनिक कीमत	इकाईयों की संख्या (कॉन्ट्रेक्टस x लॉट साइज	रूपये के संदर्भ में काल्पनिक कीमत
7	8	10	11

नोट: विकल्पों के मामले में, अनुमानित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम और स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

हस्ताक्षर.......................

नाम.............................

पदनाम............................

स्थान............................

तारीख..............................

प्रारूप-ख

आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

CIN: L74899DL1970GOI005276

(संहिता के खंड 8.1(ii) के अनुसार)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर बनने पर तथा सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 6 में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण।

नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन और संपर्क नंबर के साथ पता	नाम, पैन, व्यक्ति की श्रेणी (प्रमोटर/केएमपी/निदेशक/निकटतम रिश्तेदार/अन्य आदि)	निदेशक/केएमपी की नियुक्ति की तिथि या प्रमोटर बनने की तिथि	प्रमोटर बनने/निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय रखी गई प्रतिभूतियाँ		शेयरधारिता का%
			सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि) संख्या	संख्या	
1	2	3	4	5	6

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर बनने पर और सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियम 6 में उल्लिखित अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा आयोजित कंपनी के डेरिवेटिव में ओपन इंटरेस्ट (01) का विवरण।

विनियमन लागू होने की तिथि को आयोजित वायदा अनुबंधों का खुला ब्याज		नियम लागू होने की तिथि को आयोजित विकल्प अनुबंधों का ओपन इंटरेस्ट	
इकाइयों की सख्या (कानट्रेक्टस x लॉट साइज)	रूपये के संदर्भ में कल्पित मूल्य	इकाइयों की सख्या (कानट्रेक्टस x लॉट साइज)	रूपये के सदर्भ मे कल्पित मूल्य
7	8	10	11

नोट: विकल्पों के मामले में, अनुमानित मूल्य की गणना विकल्पों के प्रीमियम और स्टॉक मूल्य के आधार पर की जाएगी।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

स्थान:

तारीख:

<u>प्रारूप-ग</u>

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
CIN: L74899DL1970GOI005276
इस संहिता के लागू होने या नामित व्यक्ति बनने के 30 दिनों के भीतर नामित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण का प्रारूप

1. नाम. पैन/कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता और फोन/मोबाइल नंबर।			
नजदीकी रिश्तेदारों के लिए घोषणा*/जिन व्यक्तियों के साथ नामित व्यक्ति भौतिक वित्तीय संबंध साझा करते हैं**			
क्र.सं.	नाम	पैन/ कानून द्वारा अधिकृत पहचानकर्ता द्वारा कानून	फोन/मोबाइल नं.

2. वह शैक्षणिक संस्थान जहां से नामित व्यक्ति ने स्नातक किया है	
3. पूर्व के नियोक्ता	

नामित व्यक्ति का नाम:
पैन:
हस्ताक्षर:
फोन:
तारीख:
स्थान:

नजदीकी रिश्तेदार का अर्थ है किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, तथा इसमें ऐसे व्यक्ति या जीवनसाथी के माता-पिता, भाई- बहन और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी व्यक्ति या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है।

** भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ है ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे कि पिछले बारह महीनों के दौरान किसी जोआन या उपहार के रूप में, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर है, लेकिन इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान कुछ दूरी के लेन-देन पर आधारित है।

प्रारूप -ग(1)

आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

जीआईएन: **L74899DL1970GO1005276**

(संहिता के खंड **8.2**(डी) के अनुसरण में)

निरंतर प्रकटीकरण का प्रारूप (किसी भी परिवर्तन की तिथि से **30** दिनों के भीतर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के **30** दिनों के भीतर)

<table>
<tr><td colspan="4">नाम, पैन/और कानून द्वारा अधिकृत अन्य पहचानकर्ता और फोन/मोबाइल नंबर।</td></tr>
<tr><td colspan="4">नजदीकी रिश्तेदारों के लिए घोषणा*/जिन व्यक्तियों के साथ नामित व्यक्ति महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करते हैं**</td></tr>
<tr><td>क्र.स.</td><td>नाम</td><td>पैन</td><td>फोन/मोबाइल न.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

नामित व्यक्ति का नाम:

पैन :

हस्ताक्षर:

फोन:

तारीख:

स्थान:

नजदीकी रिश्तेदार का अर्थ है किसी व्यक्ति का जीवनसाथी, तथा इसमें ऐसे व्यक्ति या जीवनसाथी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी व्यक्ति या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है।

** भौतिक वित्तीय संबंध का अर्थ है ऐसा संबंध जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे कि पिछले बारह महीनों के दौरान किसी जोआन या उपहार के रूप में, जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर है, लेकिन इसमें ऐसे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान कुछ दूरी के लेन-देन पर आधारित है।

प्रारूप-घ

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
सीआईएन: *L*74899*DL*1970*GOI*005276
(संहिता के खंड 8.2(ए) के अनुसरण में)

निरंतर प्रकटीकरण- प्रमोटर/प्रमोटर समूह/निदेशकों/कर्मचारियों द्वारा कुछ सीमा पार करने वाले लेन-देन का विवरण।
(यदि ट्रेडिंग मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है तो प्रतिभूतियों (डेरिवेटिव सहित) में लेनदेन/डीलिंग के 2 ट्रेडिंग दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)

नाम,पैन और पता	प्रतिभूतियों की संख्या एवं प्रतिशत (व्युत्पन्न सहित)	सभी प्रासंगिक सलाह प्राप्त करने की तिथि! प्रतिभूतियों का अधिग्रहण/बिक्री (व्युत्पन्न सहित)	कंपनी को सूचना देने की तिथि	अधिग्रहण का तरीका (बाजार खरीद! सार्वजनिक/अधिकार/अधिमान्य प्रस्ताव आदि)
1	2	3	4	5

अधिग्रहण/बिक्री के बाद प्रतिभूतियों (व्युत्पन्न सहित) की संख्या और प्रतिशत	ट्रेडिंग सदस्य जिसके माध्यम से सेबी के साथ व्यापार निष्पादित किया गया था	वह एक्सचेंज जिस पर व्यापार निष्पादित किया गया था	खरीद/बिक्री मात्रा	खरीद/बिक्री मूल्य
6	7	8	9	10

नोट: पिछले प्रकटीकरण के बाद वृद्धिशील लेनदेन का खुलासा तब किया जाना आवश्यक है जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद किए गए लेनदेन उसी कैलेंडर तिमाही में 10 लाख रुपये की सीमा को पार कर जाते हैं।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर......................................

नाम एवं पदनाम................................

प्रारूप-ड

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1970GOI005276

(संहिता के खंड 8.2/सी के अनुसरण में)

वार्षिक प्रकटीकरण- निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, नामित कर्मचारी और उनके नजदीकी रिश्तेदार

अनुपालन अधिकारी
आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड
नई दिल्ली -110003

प्रिय महोदय,

निदेशक, केएमपी, नामित कर्मचारी, वित्तीय वर्ष के दौरान हुडको की प्रतिभूतियों में लेनदेन(ओं) का विवरण तथा 31 मार्च को शेयरधारिता का विवरण नीचे प्रस्तुत करते हैं।

नाम, पदनाम और कर्मचारी आईडी:

विभाग:

I. निदेशक/केएमपी नामित कर्मचारी बनने/जॉइन करने की तिथि:

II. I. स्वयं के नाम पर लेनदेन/शेयरधारिता का विवरण

........को धारित प्रतिभूतियों की संख्या (पिछले प्रकटीकरण की तिथि)	लेनदेनकी तारीख	वर्ष के दौरान खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण		वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों का ब्यौरा		.....(वर्तमान प्रकटीकरण की तिथि) तक धारित प्रतिभूतियों की संख्या	फोलियो संख्या/डीपीआईडी और ग्राहक आई डी
		सं.	मूल्य	सं.	मूल्य		

I.

II. II.नजदीकी रिश्तेदार के लेन-देन/शेयरधारिता का विवरण

नजदीकी रिश्तेदार का नाम	संबंध	........को धारित प्रतिभूतियों की संख्या (पिछले प्रकटीकरण की तिथि)	वर्ष के दौरान खरीदी गई प्रतिभूतियों का ब्यौरा		वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों की संख्या		.... को धारित प्रतिभूतियों की संख्या (वर्तमान प्रकटीकरण की तिथि)	फोलियो संख्या/ डीपीआईडी और ग्राहक आई डी
			संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य		

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्व लेनदेन के बाद कम से कम 6 महीने की अवधि (आईपीओ/एफपीओ आवंटन के मामले में 30 दिन) के लिए कंपनी के शेयरों में विपरीत लेनदेन में प्रवेश नहीं करने की आवश्यकताओं का अनुपालन करूंगा/कर चुका हूँ।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर..........................

नाम एवं पदनाम..............................

ई-मेल आईडी.......................................

पैन...

मोबाइल नं. ....

फॉर्म-ई

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड

CIN: L74899DL1970GOI005276

(संहिता के खंड 8.3 के अनुसार)

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए प्रोफ़ॉर्मा

Name, PAN, CIN/DIN & address with contact nos.	Category Of Person (Promoters/ KMP/ Directors/ Immediate relatives to/ Others, etc.)	Securities held prior to acquisition/ disposal	Securities acquired/Disposed	Securities held Post-acquisition/ disposal	Date of allotment advice/ acquisition of shares/ sale of shares- specify	Date of intimation to company	Mode of acquisition/ disposal (on market/ public/ rights/ preferential offer/

		Type of security (For eg. - Shares. Warrants, Convertible Debentures etc.)	No. and % of Share 1olding	Type of security (For eg.- Shares, Warrants Convertible Debentures etc.l	No.	value	Trans-action Type (Buy/ Sale/ =>ledge/ evoke/ nvoke)	Type of security (For e.g. - Shares, Warrants Convertible Debentures etc.)	No.and % of Share holding	rom	To		off markeV inter-se transfer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट: "प्रतिभूतियाँ" का अर्थ संहिता के खंड 2.21 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम एवं पदनाम